

कार्यालय: रिटरनिंग अधिकारी, नगर निगम फरीदाबाद एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद,
फरीदाबाद।

निर्वाचन की सूचना

(Notice under rule 22 of the Haryana Municipal Corporation Election Rules 1994)

हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियमावली 1994 के नियम 22 में दिये गये प्रावधान के अनुसार एतद्व द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नगर निगम फरीदाबाद के मेयर पद तथा सभी 46 वार्डों के सदस्यों के चुनाव के लिये दिनांक 11.02.2025 (मंगलवार) से 17.02.2025 (सोमवार) तक पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (दिनांक 12.02.2025 तथा दिनांक 16.02.2025 को राजपत्रित अवकाश छोड़कर) अधोहस्ताक्षरी द्वारा मेयर पद के लिए नामांकन पत्र कमरा नं० 108, प्रथम तल, लघु सचिवालय, सैक्टर-12, फरीदाबाद तथा सदस्य पद के लिए नामांकन निम्नलिखित सहायक निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निम्नांकित स्थानों पर लिये जायेंगे।

क्र०सं०	सहायक रिटरनिंग अधिकारी का पदनाम तथा पता	नगर निगम का वार्ड नं०, जिसके नामांकन पत्र लिए जाने हैं।
1	श्री गौरव अंतिल, एच०सी०एस०, अतिरिक्त आयुक्त नगर निगम, फरीदाबाद। कार्यालय:- मुख्यालय, नगर निगम, फरीदाबाद, बी०के० चौक, एन०आई०टी०, फरीदाबाद	1, 2, 3, 4
2	श्री राजेश कुमार, एच०सी०एस०, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद कार्यालय:- नगर निगम, ओल्ड जोन, फरीदाबाद	21, 22, 23, 24
3	श्री हितेन्द्र कुमार, एच०सी०एस०, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद कार्यालय:- नगर निगम, एन०आई०टी जोन, फरीदाबाद	5, 6, 7, 8
4	श्रीमति शिखा, एच०सी०एस०, उप-मण्डल अधिकारी(ना०), फरीदाबाद कार्यालय:- उप-मण्डल अधिकारी(ना०), लघु सचिवालय, सैक्टर-12, फरीदाबाद	14, 36, 37, 39
5	श्री करण सिंह, एच०सी०एस०, संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद कार्यालय:- नगर निगम, बल्लबगढ़ जोन, फरीदाबाद	25, 26, 27
6	श्री भारत भूषण, एच०सी०एस०, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ०एम०डी०ए०, सैक्टर-12, फरीदाबाद कार्यालय:- एफ०एम०डी०ए०, सैक्टर-12, फरीदाबाद	28, 29, 30, 32




7	श्री त्रिलोक चन्द, एच0सी0एस0, उप-मण्डल अधिकारी(ना0), बडखल कार्यालय:- उप-मण्डल अधिकारी(ना0), बडखल, एन0आई0टी, फरीदाबाद	9, 10, 11, 12
8	श्री मयंक भारद्वाज, एच0सी0एस0, उप-मण्डल अधिकारी(ना0), बल्लबगढ़ कार्यालय:- उप-मण्डल, अधिकारी(ना0), बल्लबगढ़	42, 43, 45, 46
9	श्रीमति गोरी मिडदा, एच0सी0एस0, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ0एम0डी0ए0, सैक्टर-12, फरीदाबाद कार्यालय:- एफ0एम0डी0ए0, सैक्टर-12, फरीदाबाद	17, 18, 20
10	श्री नवीन कुमार, सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद कार्यालय:- संपदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर-12, फरीदाबाद	38, 40, 41, 44
11	श्री सुशील शर्मा, जिला राजस्व अधिकारी, फरीदाबाद कार्यालय:- कमरा नं. 102, प्रथम तल, लघु सचिवालय, सैक्टर-12, फरीदाबाद	31, 33, 34, 35
12	श्री देवेन्द्र, एस0टी0पी0, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, फरीदाबाद कार्यालय:- हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सैक्टर-12, फरीदाबाद	13, 15, 16, 19

1. उम्मीदवार या उसके प्रस्थापक द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे।
2. नामांकन पत्रों की समीक्षा दिनांक 18.02.2025 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 11:30 बजे से समाप्ति तक रिटरनिंग अधिकारी द्वारा कमरा नं0 108, प्रथम तल, लघु सचिवालय, सैक्टर-12, फरीदाबाद में की जायेगी।
3. उम्मीदवारों द्वारा उम्मीदवारी/नामांकन पत्र अन्तिम तिथि 19.02.2025 (बुधवार) को अपराह्न 3:00 बजे तक वापिस लिये जा सकते हैं।
4. उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिनांक 19.02.2025 (बुधवार) को अपराह्न 3:00 बजे के पश्चात दिये जायेंगे।
5. निर्वाचन की दशा में मतदान दिनांक 02.03.2025 को पूर्वाह्न 08:00 बजे और अपराह्न 06:00 बजे तक होगा।


स्थान : फरीदाबाद

तारीख : 05.02.2025


सतबीर सिंह (एच0सी0एस0),
रिटरनिंग अधिकारी नगर निगम चुनाव फरीदाबाद एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, फरीदाबाद

पृ० कमांक निर्वाचन-2025/MC/ELE/01 दिनांक: 05.02.2025


इसकी एक राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा को उनकी अधिसूचना नं० SEC/1ME/2025/530 दिनांक 04.02.2025 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।


सतबीर सिंह (एच०सी०एस०),
रिटर्निंग अधिकारी नगर निगम चुनाव फरीदाबाद एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, फरीदाबाद

पृ० कमांक निर्वाचन-2025/MC/ELE/02-25 दिनांक: 05.02.2025

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग, चण्डीगढ़ ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
4. उपायुक्त, फरीदाबाद ।
5. आयुक्त, नगर निगम, फरीदाबाद ।
6. सभी सहायक रिटर्निंग अधिकारी, नगर निगम, फरीदाबाद ।
7. सचिव एवं नोडल आफिसर, नगर निगम, फरीदाबाद को लिखा जाता है कि वह इस नोटिस को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवायें और विस्तृत प्रचार प्रसार करवाये ।
8. जिला लोक सम्पर्क अधिकारी, फरीदाबाद को भेजकर लिखा जाता है कि वह उक्त चुनाव कार्यक्रम का नगर निगम फरीदाबाद के क्षेत्र में विस्तृत प्रचार प्रसार करवाये और स्थानीय/राष्ट्रीय अखबारों में मोटे अक्षरों में ऐसे स्थान पर जहां पर जनता की अधिक से अधिक नजर पड़े छपवाया जाये ताकि जनसाधारण को इसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सकें ।
9. सयुक्त आयुक्त, नगर निगम फरीदाबाद, एन०आई०टी०, बल्लबगढ़ को नोटिस चस्पा करने तथा चुनाव कार्यक्रम का विस्तृत प्रसार करवाने हेतु भेजी जाती है।
10. तहसीलदार, फरीदाबाद/बल्लबगढ़/बडखल को भेजकर लिखा जाता है कि वह इस नोटिस को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवायें और विस्तृत प्रचार प्रसार करवाये ।


सतबीर सिंह (एच०सी०एस०),
रिटर्निंग अधिकारी नगर निगम चुनाव फरीदाबाद एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, फरीदाबाद